

संख्या -23/आईटी/12)
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कताभवन, जीपीओ काम्प्लैक्स,
ब्लाकए-, आईए.एन., नई दिल्ली-110023
दिनांक31.10.2023

परिपत्र संख्या 11/10/23

विषय:- आयोग की सलाह के लिए आयोग को संदर्भभेजने के संबंध में।

आज के डेटा-संचालित वातावरण में, प्रभावी निर्णय लेने तथा परिचालन दक्षता के लिए सटीक और अद्यतन जानकारी महत्वपूर्ण है। डेटा की सटीकता और पूर्णता, प्रभावी सतर्कता प्रशासन के लिए आवश्यक विभिन्न रिपोर्टों को जनित करने पर सीधे प्रभाव डालती है। इसे ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सतर्कता मामले की निगरानी पर एक नई प्रणाली विकसित की है, जिसके 10 नवंबर 2023 से प्रभावी होने की संभावना है।

2. नई वीसीएमएस प्रणाली में सभी फ्रील्ड अनिवार्य हैं और पूरी जानकारी के अभाव में, केस पंजीकरण/ और डेटा का चरणबद्ध उन्नयन संभव नहीं है।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि एफएसए के लिए आयोग को मामले भेजते समय, नए प्रारूप में एसपीएस का पूर्ण बायोडाटा (प्रति संलग्न) उपलब्ध कराया जाए। संपूर्ण जानकारी के अभाव में, आयोग के विचारार्थ भेजे गए मामले, बिना किसी सलाह के संबंधित संगठनों को वापस लौटा दिए जाएंगे।

4. मुख्य सतर्कता अधिकारी ऐसी कार्रवाई आरंभ करने के तत्काल बाद, चरणवार, आयोग की सलाह पर की गई कार्रवाई के बारे में भी सूचित करें।

5. इसे तत्काल प्रभाव से अनुपालनार्थ नोट किया जाए।

हो/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

प्रति

- (i) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी।
- (ii) सीवीसी की वेबसाइट

जीवनवृत्त

अधिकारी का नाम:-	(सेवा रिकॉर्ड के अनुसार और पूरा नाम उदाहरण के लिए अमित कुमार लूथरा, ए के लूथरा नहीं)
जन्मतिथि :-	तारीख/माह/वर्ष
सेवानिवृत्ति की तिथि:-	तारीख/माह/वर्ष
अधिकारी का पदनाम:-	
वर्तमान में:-	पूरा नाम (उदाहरण के लिए उप महाप्रबंधक, डीजीएम नहीं)
कथित कदाचार के समय:-	पूरा नाम
सेवा का नाम:-	उदाहरण के लिए (भारतीय रेलवे यातायात सेवा) आईआरटीएस
वर्तमान पद पर अधिकारी का ग्रेड:-	ग्रुप-ए/बी/सी
वर्तमान पद पर अधिकारी का वेतनमान एवं स्तर :-	
अधिकारी ग्रेड वेतन स्तर 14 से ऊपर:-	हाँ या नहीं
घटना घटित होने की तिथि:-	तारीख/माह/वर्ष
निलंबन की तिथि (यदि निलंबित हैं):-	तारीख/माह/वर्ष
अधिकारी पर लागू अनुशासनिक नियम:-	

हस्ताक्षर
(मुख्य सतर्कता अधिकारी)